न्यायालय सहायक कलक्टर कोर्ट कैम्प–मावा, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **112/2021** दायर दिनाँक **06.10.2021**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. राधाकिशन पुत्र स्व. रामदेवाराम उम्र 34 वर्ष 2. धर्माराम पुत्र स्व. रामदेवाराम उम्र 29 वर्ष समस्त जातिगण जाट, निवासीगण अगरोट, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. सुखी पत्नि आईदानाराम उम्र 55 वर्ष 2. भगवती पुत्री आईदानाराम 3. अन्जू पुत्री आईदानाराम 4. कानाराम पुत्र चुनाराम 5. हरीराम पुत्र चुनाराम 6. झमकु पुत्री चुनाराम 7. शांति पुत्री चुनाराम 8. गणेशी पुत्री चुनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण अगरोट तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अशोक भाकर वकील वादीगण।
2. श्री हरफुल राव वकील प्रतिवादीगण 01 ता 08।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **08.10.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 03.28 हैक्टे0, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.12 हैक्टे0 कुल रकबा 4.40 हैक्टे0 वाकै सरहद अगरोट तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 04 ता 08 एक परिवार के सदस्य है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के अन्य खसरा नम्बराने की भूमियां बंट में आई हुई है। जिनमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नही है। उपरोक्त वर्णित खसरान् में प्रतिवादी सं0 04 ता 08 का कोई हक हिस्सा नही है।

यह है कि उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण के दादा के नाम से रही थी। लेकिन अभी हाल में हुए सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वीगण व वादीगण के दादा का नाम खातेदारी में से हटाकर उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम से ही दर्ज की गई है। वादीगण के दादा के नाम की खतौनी वादपत्र के साथ पेश है जिससे आहत होकर वादीगण को उक्त वाद बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा मौखिक बंटवारे व [illegible] वादीगण अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। लेकिन [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा बाई मिट्स एण्ड [illegible] की दावा बाबत बंटवारा करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:58:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि बिनाय दावा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के नाम से गलत खातेदारी आ जाने के कारण बमुकाम अगरोट में पैदा हुआ है जो न्यायालय हाजा में लगातार उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादीगण की प्रार्थना इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 3.28 हैक्टे0 में से 2.12 हैक्टे0 वादीगण के नाम घोषित की जावे व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार व वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की तरफ से वकील श्री हरफुल राव ने राजीनामा पेश किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् दावा राजीनामा मुताबिक खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा वाकै सरहद अगरोट के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 3.28 हैक्टे0 में से 2.12 हैक्टे0 वादीगण के नाम राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **08.10..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:58:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर कोर्ट कैम्प मावा, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 112/2021 दायर दिनॉंक 06.10.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. राधाकिशन पुत्र स्व. रामदेवाराम उम्र 34 वर्ष 2. धर्माराम पुत्र स्व. रामदेवाराम उम्र 29 वर्ष समस्त जातिगण जाट, निवासीगण अगरोट, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. सुखी पत्नि आईदानाराम उम्र 55 वर्ष 2. भगवती पुत्री आईदानाराम 3. अन्जू पुत्री आईदानाराम 4. कानाराम पुत्र चुनाराम 5. हरीराम पुत्र चुनाराम 6. झमकु पुत्री चुनाराम 7. शांति पुत्री चुनाराम 8. गणेशी पुत्री चुनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण अगरोट तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9. त्हसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनॉंक 08.10.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक भाकर वकील वादीगण व श्री हरफुल राव वकील प्रतिवादीगण 01 ता 08 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा वाकै सरहद अगरोट के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 3.28 हैक्टे0 में से 2.12 हैक्टे0 वादीगण के नाम राजीनामा व नजरी नक्शे अनुसार घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन [illegible] जारी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:58:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner